

29/1/16

वकील शर्यांगण एव स्वयं शर्यांगण अनुपस्थित। उन्हे आवार्जे  
लगवाई गई लेकिन को अदालत हाजिर नहीं भाया। पत्रावली  
का अन्वेषण किया गया। शर्यांगण की ओर से दि. 13-2-15  
के बाद से आदिनाम सम्मन तलबाना भरा नहीं किया गया है।  
एही स्थिति में शर्यांगण का धारण पत्र अदालत कार्यालय में खासिय  
किया जाता है। मिसल फौजदारी शुभारंभ होकर नम्बर से कम हो  
बाद दफ्तर राखित हो।

इपरिभाह अधिकारी  
भसुदा (अजमेर)

